राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/22129-22341 दिनांक : 23/10/2021

समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
राजस्थान।

विषय : "प्रशासन शहरो के संग अभियान – 2021" के अन्तर्गत अभियान अवधि में पट्टे वितरित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा संचालित **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं। आम जनता को अधिकाधिक राहत प्रदान करने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिकाधिक छूट प्रदान की गई है तथा सरकारी प्रकिया का भी सरलीकरण किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अभियान में 10 लाख पट्टे जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में वर्तमान सर्वे में आने वाले समस्त आवासों को भी पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जानी है। इसी क्रम में पट्टे वितरित किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय की श्रेणी अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

निकाय की श्रेणी	आवंटित लक्ष्य
नगर निगम (संख्या 10)	20,000
नगर परिषद् (संख्या 34)	10,000
नगर पालिका (संख्या 152)	3,000
नगर पालिका (नवगठित 17 नगरपालिका)	1,000

अतः प्रत्येक नगरीय निकाय में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी इस हेतु पूर्ण समर्पित होकर राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आम जनता को अधिक से अधिक लाभांवित कर उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/22342-22388 दिनांक : 23/10/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु नगर निकायों को प्रोत्साहित करने एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु।
8. समस्त उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को नियमित रूप से निरीक्षण कर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु।
9. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदे़शक एवं विशिष्ठ सचिव